Annexure-1

संख्याः 349 /VII-1/22-ख/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

औद्योगिक विकास अनुभाग   देहरादून : दिनांकः 19 फरवरी, 2013

विषयः : जनपद नैनीताल के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत दाबका नदी के 223.00 हैक्टेयर नदी तल क्षेत्रफल में पत्थर एवं अन्य उपखनिजों का खनन पट्टा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 217(1)/X-3-13-8(14)2009, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दाबका नदी के 223.00 हैक्टेयर नदी तल क्षेत्रफल को पत्थर एवं अन्य उपखनिजों के चुगान हेतु आगामी दस वर्षों तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तरित किया गया है।

2— अतः वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में दाबका नदी तल के 223.00 हैक्टेयर वन क्षेत्र में 10 (दस) वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज रेता, बजरी एवं बोल्डर के चुगान किये जाने की अनुमति, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F No-8-61/1999-FC(pt-II) दिनांक 15 फरवरी, 2013 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या J-11015/359/2009-IA.II(M) दिनांक 15 अप्रैल, 2011 के अधीन उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त नदी से उपखनिजों के चुगान से पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या J-11015/359/2009-IA.II(M) दिनांक 15 अप्रैल, 2011 एवं आदेश संख्या F No-8-61/1999-FC(pt-II) दिनांक 15 फरवरी, 2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अन्य संगत अधिनियमों के अन्तर्गत समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. निगम चुगान कार्य से किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा। यदि वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है या पहुंचायी जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के उपयोग में तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराखण्ड वन विकास को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उक्त भूमि अथवा उसका ऐसा भाग, जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथा स्थिति वापस हो जायेगी।
6. वन विभाग/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं राज्य सरकार के कर्मचारी/अधिकारी या उनके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान हेतु किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नदी में नहीं किया जायेगा व चुगान कार्य केवल हैण्ड टूल्स द्वारा ही किया जायेगा।
8. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान का कार्य सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्योदय के पश्चात नहीं किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. खनन पट्टा की स्वीकृति के पश्चात् उक्त स्थल का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
11. किसी सार्वजनिक विनोदस्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला स्थान, मकान अथवा ग्रामस्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान जो जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया गया हो, ऐसे स्थानों पर न तो कोई चीज खड़ी की जाय न ही स्थापित की जायेगी और न ही कोई सतह संक्रियायें की जायेंगी, जिससे कोई भवन, भवन निर्माण कार्य, सम्पति या अन्य व्यक्तिगत अधिकारों को क्षति पहुँचे।
12. पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या अन्य प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि सतह संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त नहीं की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के कब्जे में पहले से ही हो।
13. किसी भी मार्ग का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।
14. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व प्रवेश व निकासी मार्गों पर पर्याप्त संख्या में अस्थाई चैक पोस्ट स्थापित किये जायेंगे। निकासी किये जाने वाले उपखनिजों के उचित अभिलेखो का रखरखाव उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
15. वन विकास निगम द्वारा उपखनिज की निकासी की मात्रा पर निर्धारित रायल्टी आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून

16. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–70 के अनुसार उपखनिजों का परिवहन खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र एम0एम0–11 पर किया जायेगा तथा नियम–73 के अनुसार प्रपत्र एम0एम0–12 पर त्रैमासिक विवरण निगम द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल तथा खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी–नैनीताल को प्रेषित किया जायेगा।

17. इसके अतिरिक्त इस हेतु जो भी शर्ते स्थानीय जिला प्रशासन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित की जायेंगी, का अनुपालन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

18. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त नदी से उपखनिजों के चुगान हेतु वन विभाग/अन्य प्राधिकारियों को प्रदत्त समस्त वचनवद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निगम द्वारा उपखनिजों के चुगान हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों व उनके द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक : भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2011
एवं दिनांक 15 फरवरी, 2013

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 349 (1)/VII-1/22–ख/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner